

**कार्यालय**  
**प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स : 05962-232162 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com  
पत्रांक 398 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 20-07-2018

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,  
लो0नि0वि0 (अल्मोड़ा) 2 (अल्मोड़ा)

**विषय -** नौला से धिरोली मोटर मार्ग 5.427 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० धनराशि का डिमाण्ड नोट।

**संदर्भ -** आपकी पत्र संख्या 566/ पी०एम०जी०एस०वाई०/2018/दिनांक 18.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली एन०पी०वी० धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | विवरण                                                    | इकाई      | दर               | जमा की जाने वाली धनराशि |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 1       | एन०पी०वी०                                                | 5.427 हे० | 657000 प्रति हे० | 3565539.00              |
| 2       | क्षतिपूरक वृक्षारोपण                                     | -         | -                | -                       |
| 3       | परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना | -         | -                | -                       |
| 4       | प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना             | -         | -                | -                       |
| 5       | 100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना                          | -         | -                | -                       |

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

माहदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।  
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234  
पत्रांक 110 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 06 जुलाई, 2018।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड पी0डब्लू0डी0,  
द्वाराहाट(अल्मोडा)।

विषय:- जनपद अल्मोडा में नौला से थिरौली मोटर मार्ग 5.427 हे0 (10.50 किमी0) के निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

संदर्भ :- आपका पत्रांक 499/ व0भू0 दि0 18-06-2018

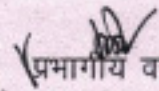
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु सं0 2 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र0 सं0 | मद        | इकाई       | दर         | जमा की जाने वाली धनराशि |
|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|
| 1        | क्षतिपूरक | 10.854 हे0 | 2,78,665/- | 3024630/-               |

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।